

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 20(101)आ0भिन्न/लेखा बजट/निकाशि/2012-13/466-612-

दिनांक 28/05/12

प्राचार्य,
समसस्त राजकीय महाविद्यालय,

विषय :- RVRES नियम 2010 के तहत नियुक्त कार्मिको के एरियर
वेतन भुगतान हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि RVRES नियम 2010 के तहत आपके
महाविद्यालय में नियुक्त कार्मिको को वित्त वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में नियमानुसार
देय वेतन एरियर राशि का भुगतान आपके महाविद्यालय को वित्त वर्ष 2012-13 के
लिए आवंटित किए गये नियमित वेतन मद से किया जा सकता है।

1. वित्त वर्ष 2011-12 के लिए देय एरियर राशि के प्रावधान वित्त वर्ष 2012-13 के
संशोधित आय-व्यय अनुमानो में शामिल किये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित
महाविद्यालय की होगी।
2. एरियर राशि के भुगतान से पूर्व नियमानुसार आय कर एवं अन्य कटौतियाँ किये
जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।



मुख्य लेखाधिकारी
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 20(101)आ0भिन्न/लेखा बजट/निकाशि/2012-13/466-612

दिनांक 28/05/12

प्रतिलिपी : . श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि कृपया विभाग की
वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



मुख्य लेखाधिकारी
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर